न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 44/2021

अपीलांट –
1. सांवलसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. पबसिंह पुत्र चिमनसिंह
2. किशनसिंह पुत्र दीपसिंह
3. जुगतसिंह पुत्र दीपसिंह
4. मुल्तानसिंह पुत्र दीपसिंह
5. शैतानसिंह पुत्र दीपसिंह
6. प्रेमसिंह पुत्र दीपसिंह
7. फफूकंवर पत्नि दीपसिंह
8. कमलसिंह पुत्र मंगलसिंह
9. चुतरसिंह पुत्र मंगलसिंह
10. उम्मेदसिंह पुत्र पोलसिंह
11. हडवतसिंह पुत्र पोलसिंह
12. सूरतसिंह पुत्र पोलसिंह
13. बालूकंवर पत्नि कुम्पसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श उण्डखा तहसील बाड़मेर
14. गौतम पुत्र कानसिंह
15. जसपाल पुत्र भूरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सफेद आकडा मार्ग, बाड़मेर
16. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1777–1779 दिनांक 16.06.2016 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट्स सूचना बावजूद अनुपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 18.12.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 1777–1779 दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा उण्डखा, आदर्श उण्डखा व धांधुपुरा में खेत खाता संख्या क्रमशः 80, 81, 140, 141, 142 व 106 कुल रकबा 421–12 बीघा भूमि खातेदारान सांवलसिंह पुत्र राणसिंह, पबसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श उण्डखा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 16.06.2016 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी उण्डखा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1777–1779 दिनांक 16.06.2016 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.11.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा उण्डखा, आदर्श उण्डखा व धांधुपुरा में खेत खाता संख्या क्रमशः 80, 81, 140, 141, 142 व 106 कुल रकबा 421–12 बीघा भूमि खातेदारान सांवलसिंह पुत्र राणसिंह, पबसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श उण्डखा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि में पक्षकारान अपने हिस्सानुसार अपने –अपने बंट अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है तथा पूर्व में मौखिक रूप से बाहमी बंटवारा किया हुआ है। इसी बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज है जिस पर पक्षकारान की ढाणीयां, टांके, चारा बाड़े इत्यादि बने हुए है। अपीलांट व उत्तरदातागण ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2016 में उत्तरदाता संख्या 16 तहसीलदार बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 1 से 15 ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने हेतु आवेदन तहसीलदार बाडमेर के समक्ष पेश किया तथा तहसीलदार बाड़मेर ने उक्त विभाजन प्रस्ताव को तस्दीक कर भूमि का बंटवाडा कर [illegible] पर खसरा नंबर मूल खेत खसरा नंबर 206 रकबा [illegible] रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 313 रकबा 05 बीस्वा, खसरा नंबर [illegible] रकबा 01.03 बीघा, खसरा नंबर 316 रकबा 04 बिसवा, खसरा नंबर 317 [illegible] 37.10 बीघा, खसरा नंबर 315 रकबा 203.03 बीघा मौजा आदर्श उण्डखा, खसरा नंबर 182 रकबा 13.03 बीघा मौजा धांधुपुरा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर का बंटवाडा किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया जिसमें अपीलांट को कोई उजर एतराज नहीं है परन्तु खसरा नंबर 626/587, 628/589, 828/587, 829/587, 830/589, 831/589 मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा का सही मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा किया गया।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के नक्शे व तरमीमी के बारे में ज्ञान अपीलांट को तत्समय नहीं होने दिया तथा अरसा 20–25 दिन पूर्व उत्तरदातागण द्वारा अपीलांट के हिस्से व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया गया जिस पर अपीलांट ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की जांच करवाई तो मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त के अनुसार भूमि का बंटवाडाव तरमीम नहीं करवानेकी जानकारी दी जिस पर अपीलांट विभाजन प्रस्ताव की प्रति दिनांक 16.11.2021 को प्राप्त की जिस पर सर्वप्रथम अपीलांट को जानकारी हुई तथा जानकारी से सम्यक तत्परता के साथ यह अपील श्रीमानजी के समक्ष पेश है फिर भी सद्भाविक रूप से अज्ञानता वश हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र साथ पेश है।

6. रेस्पोडेंट्स सूचना बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा उण्डखा, आदर्श उण्डखा व धांधुपुरा में खेत खाता संख्या कमशः 80, 81, 140, 141, 142 व 106 कुल रकबा 421–12 बीघा भूमि खातेदारान सांवलसिंह पुत्र राणसिंह, पबसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श उण्डखा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 16.06.2016 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी उण्डखा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1777–1779 दिनांक 16.06.2016 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.11.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उतरदातागण ने समस्त सहखातेदारान को विश्वास में लेकर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा करने का कहकर खातेदार/अगुष्ठ करवायें गये। अपीलाण्टगण अनपढ़ हैं जिसके अज्ञानता का फायदा उठाकर विभाजन प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ करा दिये गए। उत्तरदातागण के द्वारा मौजा आदर्श उण्डखा के खसरा नंबर 626/587, 628/589, 828/587, 829/587,

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

830/589, 831/589 बंटवारा मौके पर काबिज अनुसार तैयार न कराते हुए अपनी मनमर्जी से अधिक उपजाऊ व अच्छी किस्म वाली भूमि अपने नाम से इन्द्राज करवाकर अपने नाम करवा दी गयी। विभाजन पक्षकारान के मौके पर काबिज अनुसार नहीं हैं तथा राजस्व रेकर्ड में हिस्से अनुसार रकबा भी बराबर नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश उतरदातागण द्वारा पटवारी हल्का को अपने प्रभाव में लेकर गलत तरीके से पारित किया गया जो निरस्त योग्य हैं। रेस्पोडेंट्स सूचना बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के कब्जे की भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के हिस्से में है लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1777–1779 दिनांक 16.06.2016 आंशिक अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका आदर्श उण्डखा के खसरा नंबर 626/587, 628/589, 828/587, 829/587, 830/589, 831/589 कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:12 IST
Reason: SelfAttested